



राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
दूरभाष: 0141-2715551 Website: <http://gyansankalp.nic.in> e-mail: csr.edu.raj@gmail.com



क्रमांक : रा.मा.शि.प./जय/सीएसआर/विविध/2017 / 5540

दिनांक : 21/8/2017

जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक/प्रारंभिक) प्रथम व द्वितीय व
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक (आर.एम.एस.ए./एस.एस.ए.)
समस्त जिले

विषय: मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में सहयोग राशि के लिए आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत छूट के कम में आयकर विभाग द्वारा जारी पत्र की प्रति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य के राजकीय विद्यालयों के विकास हेतु कोरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (Corporate Social Responsibility) के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक संस्थानों एवं दानदाताओं/जन समुदाय से सहयोग राशि प्राप्त करने के लिये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अधीन ज्ञान संकल्प पोर्टल व मुख्यमंत्री विद्यादान कोष का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 05 अगस्त 2017 को किया गया है।

मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में सहयोग राशि देने वाले दानदाता/भामाशाहों को आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत छूट प्रदान करने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् जयपुर को प्राप्ति रसीद जारी करने की आयकर विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

आयकर विभाग के आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि ज्ञान संकल्प पोर्टल व मुख्यमंत्री विद्यादान कोष में किए गए योगदान हेतु 80जी के तहत छूट का व्यापक प्रचार प्रसार करें। जिससे अधिकाधिक योगदान प्राप्त किया जा सके।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(आनन्दी)

राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.मा.शि.प./जय/CSR Portal/F-973(2)/2017 / 5540
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक: 21 / 8 / 2017

1. निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, समस्त जिले।
3. निजी सहायक आयुक्त, रा.प्रा.शि.प. जयपुर
4. निजी सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर
5. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रा.मा.शि.प. जयपुर
6. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर
7. निजी सहायक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर
8. निजी सहायक, निदेशक एसआईआईआरटी, उदयपुर
9. निजी सहायक अति. राज्य परियोजना निदेशक, रमसा जयपुर
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक (प्रथम व द्वितीय)
11. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक आरएमएसए
12. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एसएसए
13. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक



भारत सरकार

कार्यालय

Office of the

आयकर आयुक्त (छूट),

Commissioner of Income Tax (Exemptions),

तृतीय तल, कैलाश हाइट्स, लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर 302015

3rd Floor, Kailash Heights, La Kothi, Tonk Road, Jaipur - 302015

नाम Name	RAJASTHAN COUNCIL OF SECONDARY EDUCATION SOCIETY
पता Address	Block No.6, Shiksha Sankul Bhawan, J.L.N. Marg, Jaipur(Raj.)
स्थाई खाता संख्या PAN	AABAR2033A
धारा 12ए के अधीन पंजीकरण की संख्या तथा दिनांक No. & Date of Registration U/s 12AA	AABAR2033A/08/2017-18/S-001/12AA, dated 02-08-2017
धारा 80 जी के अधीन आवेदन पत्र की दिनांक Date of Application U/s 80G	18/07/2017
आदेश की दिनांक Date of order	02/08/2017
80 जी के लिए विशिष्ट पंजीकरण संख्या (यू.आर. एन.) Unique Registration No (URN) for 80G	AABAR2033A/08/2017-18/S-002/80G

**आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी (5)(vi) के तहत स्वीकृति आदेश
APPROVAL UNDER SECTION 80G (5)(vi) OF THE INCOME TAX ACT, 1961**

उपर्युक्त न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अधीन पंजीकृत है। प्रमाणित किया जाता है कि दानकर्ता, **RAJASTHAN COUNCIL OF SECONDARY EDUCATION SOCIETY, Block No.6, Shiksha Sankul Bhawan, J.L.N. Marg, Jaipur(Raj.)** को दिये गये दान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी(5)(vi) के अन्तर्गत, धारा 80जी की उप-धारा(5) के उपबंध (i) से (v) एव उपधारा (5बी) में वर्णित शर्तों के अधीन कटौती का पात्र होगा।

The aforesaid Trust/Society/Non-profit Company/Institution is registered u/s 12AA of Income-tax Act. It is certified that donation made to _____, shall qualify for deduction u/s 80G (5)(vi) of the Income-tax Act, 1961 subject to the fulfilment of conditions laid down in clauses (i) to (v) of sub-section (5) and sub section (5B) of section 80G of the I.T. Act 1961.



2. यह स्वीकृति दिनांक **18-07-2017** से, विशेष परिस्थितियों में निरस्त किये जाने तक, अनवरत रूप से मान्य होगी।

This approval shall be valid in perpetuity w.e.f. _____ unless specifically withdrawn

3. आय की वार्षिक विवरणी फॉर्म संख्या आई.टी.आर. 7 में आय व्यय खाते, प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा चिट्ठे के साथ, आयकर अधिकारी (छूट), वार्ड.-1, जयपुर जिनके पास आपका क्षेत्राधिकार है को प्रतिवर्ष प्रस्तुत करनी होगी।

The Return of Income in I.T.R.-7 along with the Income & Expenditure Account, Receipts and Payment Account and Balance Sheet should be submitted annually to the Income-tax Officer (Exemptions), ward _____ having jurisdiction over the case.

Signature

4. आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर के पूर्वानुमोदन के बिना न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान, न्यास- लेख/विद्यान पत्र में परिवर्तन नही कर सकेगा।

No change in the Trust Deed/Memorandum of Association shall be effected without the prior approval of the Commissioner of Income-tax (Exemptions), Jaipur.

5. दानदाता को जारी प्रत्येक रसीद पर इस आदेश की विशिष्ट पंजीयन संख्या एवं दिनांक अंकित करनी होगी।

Every receipt issued to a donor shall bear the Unique Registration Number (URN) and date of this order.

6. धारा 12ए के अधीन पंजीकृत अथवा धारा 10(23सी)(vi)/(via) इत्यादि में स्वीकृत न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान को उनके द्वारा चलाई जा रही किसी भी व्यापारिक गतिविधि की लेखा बहियां धारा 80जी (5)(i)(ए) के प्रावधानों के अन्तर्गत अलग से रखनी होगी तथा उक्त गतिविधि को प्रारम्भ करने के एक माह के भीतर आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर को सूचित करना होगा।

Under the provisions of section 80G(5)(i)(a), the Trust/Society/Non-profit Company/Institution registered u/s 12A / 12AA(1)(b) or approved u/s 10(23C)(vi)/(via), etc., shall have to maintain separate books of accounts in respect of any business activity carried on and shall intimate Commissioner of Income-tax (Exemption), Jaipur within one month about commencement of such activity.

7. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) के प्रावधानों के इतर, न्यास/सोसायटी/अलाभकारी कम्पनी/संस्थान किसी प्रकार का अधिभार, शुल्क अथवा अन्य प्रतिफल प्राप्त नहीं कर सकेगी।

No cess or fee or any other consideration shall be received in violation of section 2(15) of the Income Tax Act, 1961.



हस्ता/-
(मुकेश वर्मा)
(Mukesh Verma)
आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर
Commissioner of Income-tax (Exemptions), Jaipur

क्रमांक:- आ.आ. (छूट) जयपुर/आ.अ. (मु.)/2017-18/3093
No.CIT (E)/JPR/ITO (Hqrs.)/2017-18/

दिनांक:- 02 अगस्त, 2017
Dated: 02

प्रतिलिपि प्रेषित: / Copy to:-

- 1-निर्धारिती / Assesse- RAJASTHAN COUNCIL OF SECONDARY EDUCATION SOCIETY,
Block No.6, Shiksha Sankul Bhawan, J.L.N. Marg, Jaipur(Raj.)
2-निर्धारण अधिकारी/Assessing Officer - The Income-tax Officer (Exemptions), Ward-1, Jaipur.

(अजय कुमार गुप्ता)
(Ajay Kumar Gupta)
आयकर अधिकारी (मुख्या.)
Income Tax Officer (H.Qrs.)
कृते आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर
For Commissioner of Income Tax (Exemptions), Jaipur